न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चौथ का बरवाड़ा

मु0न0:–48 / 2018 तारीख रजू:–07.02.2018

जी.सी.एम.एस. नंबर:–2018 / 00038

पीठासीन अधिकारी :–दामोदर सिंह (आर.ए.एस.)

1. कान्ता पुत्री मथुरा कंजर, निवासी कंजर वस्ती, चौथ का वरवाड़ा, तहसील चौथ का बरवाड़ा जिला सवाई माधोपुर।

–प्रार्थिया

वनाम

1. संतरी पुत्र मथुरा कंजर, निवासी चौथ का वरवाड़ा, तहसील चौथ का वरवाड़ा जिला सवाई माधोपुर।
2. दिलीप पुत्र स्व0 मूलचंद कंजर, चौथ का वरवाड़ा, तहसील चौथ का बरवाड़ा जिला सवाई माधोपुर।
3. सोनू पुत्र स्व0 मूलचंद कंजर, चौथ का बरवाड़ा, चौथ का वरवाड़ा, तहसील चौथ का बरवाड़ा जिला सवाई माधोपुर।
4. अमन पुत्र स्व0 मूलचंद कंजर, चौथ का बरवाड़ा, चौथ का वरवाड़ा, तहसील चौथ का बरवाड़ा जिला सवाई माधोपुर।
5. प्रीति पुत्री स्व0 मूलचंद कंजर, चौथ का बरवाड़ा, चौथ का बरवाड़ा, तहसील चौथ का बरवाड़ा जिला सवाई माधोपुर।
6. ज्योति पुत्री स्व0 मूलचंद कंजर, चौथ का बरवाड़ा, चौथ का वरवाड़ा, तहसील चौथ का बरवाड़ा जिला सवाई माधोपुर।
7. खुशबू पत्नि स्व0 मूलचंद कंजर, चौथ का बरवाड़ा, चौथ का बरवाड़ा, तहसील चौथ का बरवाड़ा जिला सवाई माधोपुर।
8. अम्बालाल पुत्र धन्नालाल बैरवा निवासी रजवाना, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।
9. देवा पुत्र शमा कंजर नाबालिग जरिये संरक्षक नाना संतरी पुत्र मथुरा कंजर, निवासी चौथ का बरवाड़ा, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।
10. सीता पुत्री मथुरा पत्नि प्रेमलाल कंजर निवासी घाटोली, जिला भरतपुर।
11. तहसीलदार चौथ का बरवाडा, जिला सवाई माधोपुर।
12. राजन्ती पत्नि कैलाश चन्द माली, निवासी रजवाना, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।
13. बदाम पत्नि रामफूल गुर्जर, निवासी रजवाना, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।
14. लाड देवी पत्नि बाबूलाल कुमावत, निवासी चौथ का बरवाड़ा, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।
15. कैलाशी पत्नि सत्यनारायण कुमावत, निवासी चौथ का बरवाड़ा, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।

–अप्रार्थीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Damodar Singh
Date: 2025.05.08 11:07:35 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थित::–

प्रार्थी वकील:–श्री सुधीर कुमार जैन, एडवोकेट एवं श्री बालकृष्ण शर्मा, एडवोकेट

वकीलअप्रार्थी संख्या 1 लगायल 7:–श्री अजय शेखर देव, एडवोकेट

वकील अप्रार्थी संख्या 8 एवं 12 लगायत 15:–श्री हरिराम प्रजापत, एडवोकेट

वकील अप्रार्थी संख्या 9:–श्री हरिसिंह पंवार, एडवोकेट

वकील अप्रार्थी संख्या 10:–एकपक्षीय कार्यवाही

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का वरवाड़ा (स0 मा0)

निर्णय दिनांकः–02.05.2025

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट

1. प्रार्थना पत्र संक्षेप में इस प्रकार है कि–

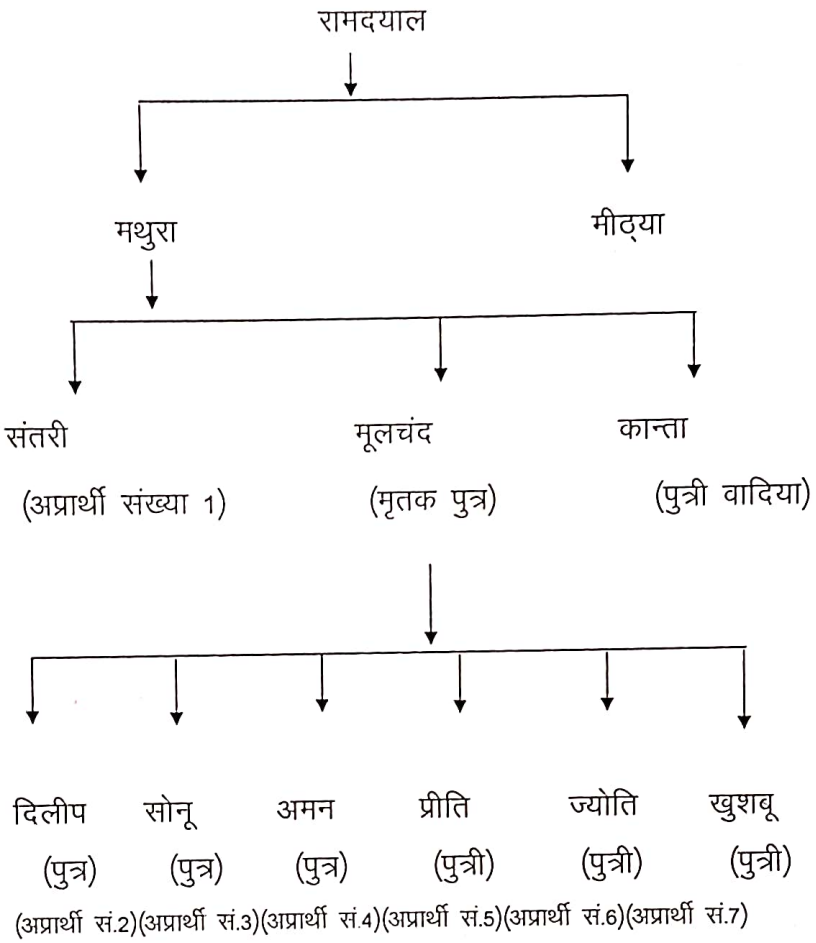

❖ प्रार्थिया ग्राम चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर की निवासी है एवं जाति से कंजर है। प्रार्थिया का ग्राम चौथ का बरवाड़ा में पुख्ता पट्टाशुदा मकान में निवासी कर रही है। प्रार्थिया एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 9 का सजरा खानदान निम्नानुसार है–

❖ प्रार्थिया के पिता की खातेदारी कृषि भूमि ग्राम चौथ का बरवाडा की राजस्व सीमा में स्थित है। वर्तमान में इस भूमि के खाता संख्या 572 के खसरा नम्बर 487,खसरा नम्बर 489, खसरा नम्बर 492, खसरा नम्बर 493, खसरा नम्बर 494, खसरा नम्बर 507,खसरा नम्बर 538, खसरा नम्बर ख0न0 540/5105, खसरा नम्बर 541,खसरा नम्बर 616,खसरा नम्बर 617, कुल खसरा 11 कुल रकबा 2.7400 है0 है। इस कृषि भूमि के वर्तमान में अप्रार्थीगण संख्या 1, 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार है तथा अप्रार्थीगण [illegible] लगायत 7, 1/4 हिस्से के खातेदार काश्तकार है। [illegible] संवत 2070 [illegible] 2073 में इसका इन्द्राज इसके अलावा 1/2 हिस्से में मीठ्या के पुत्र [illegible] श्याम व हंसराज वारिसान दर्ज है।प्रार्थिया अपने पिता की खातेदारी में स्थित 1/2 हिस्से में अपना दावा प्रस्तुत कर रही है। इसलिये अन्य सहखातेदार को पक्षकार नहीं बनाया है, क्योंकि इस दावे से उनके हितों पर विपरीत प्रभाव नही पडेगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damodar Singh
Date: 2025.05.08 11:07:35 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स0 मा0)

❖ खाता संख्या 571 में से ख0नं0 551 रकबा 0.6600 है० का 1/6 हिस्सा अप्रार्थीगण संख्या 1 ने जरिये विक्रय पत्र उसकी पुत्री शमा को बेचान कर दी थी और उसका नामान्तकरण संख्या 995 तस्दीक कर खातेदारी में नाम दर्ज हो गया था परन्तु शमा की करीब 2 माह पूर्व मृत्यु हो चुकी है। इसलिए उसके स्थान पर उसके जायज वारिस नाबालिग पुत्र देवा को जरिये संरक्षक नाना संतरी अप्रार्थी सं० 9 के रूप में पक्षकार बनाया है एवं अप्रार्थीगण सं० 1 ने खसरा नं0 521 रकबा 0.2600 है० अप्रार्थी सं० 8 अम्बालाल को विक्रय कर दी इसलिए आवश्यक पक्षकार होने से उसे भी पक्षकार बनाया है क्योंकि वह रिकार्डेड खातेदार है और दावा के निर्णय से उसके हितों पर प्रभाव पड़ेगा। खाता संख्या 571 के खसरा नंबर 521, खसरा नंबर 551, खसरा नंबर 605, खसरा नंबर 606, कुल किता 4 कुल रकबा 1.1700 है० ग्राम चौथ का बरवाड़ा की राजस्व सीमा में स्थित है, जो वर्तमान में संतरी (अप्रार्थी सं० 1) अम्बालाल (अप्रार्थी सं० 8) व शमा पुत्री संतरी कंजर (अप्रार्थी सं० 9) की माँ के नाम से खातेदारी में दर्ज हैं।

❖ खाता संख्या 573 में स्थित खसरा नंबर 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 486, 495, 497, 498, 502, 503, 504 कुल किता 17 कुल रकबा 6.0300 है0 हैं।

❖ तहसील चौथ का बरवाड़ा में भू–सर्वेक्षण के दौरान उस से खेतों के नवीन नंबर बनाये गये है, तथा वर्तमान रिकॉर्ड मे उपरोक्त वर्णित भूमि के खसरा नंबर दर्ज किये गये हैं। भू–सर्वेक्षण किये जाने से पूर्व दावान्तर्गत आराजीयात के नंबर बीघा बिस्वा में थे, जो इस प्रकार है। साबिक खसरा नंबर 181 रकबा 15 बिस्वा के नवीन नंबर 487, 492, 493, 494, कुल रकबा 0.19 है0 बनाये बये हैं। साबिक खसरा नंबर 186, 107, 286, 253, 183, 201, 179, 180, 188, 210, 219, 213, 2778 खाता संख्या 301, 302 व 339 के हैं। साबिक खसरा नम्बरान खाता संख्या 301 व 302 रामदयाल पुत्र जमना जाति कंजर निवासी चौथ का बरवाड़ा के नाम खातेदारी में दर्ज थे। रामदयाल की मृत्यु होने पर उसके पुत्रों मथुरा (प्रार्थिया के पिता) व मीठ्या (काका) के नाम दर्ज हो गई है। इस प्रकार प्रार्थीया का पिता की दावान्तर्गत भूमि खातेदारी की थी। प्रार्थिया के पिता मथुरा की सन् 1985 से पूर्व मृत्यु हो गई तो विरासत का नामान्तकरण अप्रार्थी सं० 1 व स्व० मूलचन्द के हक में तस्दीक कर दिया, जबकि पुत्रों के साथ साथ पुत्रियों के नाम भी नामान्तकरण विरासत खोला जाकर तस्दीक किया जाना चाहिये था, क्योकि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पत्रु के साथ पुत्री का भी बराबर का हिस्सा अपने पिता की सम्पत्ति में होता है, लेकिन ग्राम पंचायत ने कानून की अनदेखी करके अप्रार्थी सं० 1 व स्व० मूलचन्द के नाम नामान्तकरण संख्या 1848 तस्दीक कर दिया। इस आदेश के खिलाफ प्रार्थीया ने सम्मानीय न्यायालय में अपील पेश कर रखी है, जो बहस हेतु लम्बित हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damodar Singh
Date: 2025.05.08 11:37:35 IST
Reason: SelfAttested

❖ प्रार्थिया की हिन्दू रीति रिवाज ... उसे तवायफ बना दिया गया, जिसकी सारी कमाई भाईयों (संतरी व मूलचंद) ने उपयोग में ली। लेकिन जमीन में हिस्सा नहीं दिया एवं गुपचुप तरीके से नामान्तरकरण अपने नाम खुलावाकर खातेदारी में दर्ज करवाकर वादिया के हितों पर कुठाराघात किया। प्रार्थिया ने कई बार अप्रार्थी संख्या 1 व भाई स्व0 मूलचंद से कहा कि तहसील में

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स0 मा0)

चलकर रिकॉर्ड में प्रार्थिया का नाम दर्ज करवाकर जमीन मे हिस्सा दे दो, परन्तु दोनों भाई आलमटोल करते रहे और कहते कहते छोटे भाई मूलचंद का स्वर्गवास हो चुका है। तत्पश्चात् अप्रार्थी संख्या 1 ने अप्रार्थी संख्या 8 को जमीन वेच दी एवं एक हिस्सा अपनी पुत्री शमा को भी वेच दिया। प्रार्थिया को यह हक हासिल है कि वह अपने पिता की खातेदारी में दर्ज आराजीयात में अप्रार्थी संख्या 1 के बरावर हिस्सा प्राप्त करें, केवल नामान्तरकरण अपने नाम तस्दीक करवा लेने से प्रार्थिया का हिस्सा समाप्त नहीं होता, वल्कि उसका जन्म से ही हिस्सा है। अप्रार्थी सं० 1 ने खसरा नम्वर 521 रकवा 0.2600 हैक्टेयर प्रतिवादी संख्या 8 को वेचान कर दी इसी प्रकार खसरा नं0 551 रकवा 0.66 हैक्टेयर का 1/6 हिस्सा शमा को वेचान कर दिया, जो विना अधिकार के किया है और वादिया के खिलाफ वेअसर है एवं शून्य हैं। विनाय दावा अप्रार्थीगण सं० 1 द्वारा अप्रार्थीगण सं० 8 व 9 को बेचान किए जाने व उसका नामान्तकरण दिनांक 7.10.2014 व 5.6.2015 को तस्दीक कर रेवेन्यू रिकॉर्ड में किए जाने से पैदा हुआ है। प्रार्थीया को भय है कि इसी प्रकार वाकी जमीन भी प्रतिवादीगण वेच देंगे जिससे अपने हक की रक्षा के लिए यह दावा करना लाजिम आया।

❖ प्राईमा फेसाई केस व सुविधा का सन्तुलन तथा अपूर्णनीय क्षति का बिन्दू प्रार्थिया के पक्ष में बखूबी सावित हैं। रेवेन्यू रिकॉर्ड से यह बखूबी सावित है कि दावान्तर्गत सम्पत्ति प्रार्थिया के पिता की खातेदारी की है, जिसमें प्रार्थीया का 1/3 हिस्सा उत्तराधिकार के आधार पर बनता है। इसलिये यदि रेवेन्यू रिकॉर्ड में ग्राम पंचायत के गलत नामान्तकरण के आदेश के द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 व स्व० मूलचन्द के हक में प्रार्थीया के हक को नजर अन्दाज कर रेवेन्यू रिकॉर्ड में इसकी प्रविष्टि अप्रार्थी संख्या 1 व य मूलचन्द के वारिसान के नाम कर दिया गया है तो उससे प्रार्थीया के जायज हकों पर कोई प्रभाव नही पडता है, इस प्रकार बेलेन्स ऑफ कन्वीनियस का बिन्दू भी प्रार्थीया के हक में है। यदि अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 10 ने दावान्तर्गत भूमि को रहन, बेचान कर दिया या अन्य तरीके से मुन्तकिल कर दिया तो प्रार्थिया को अपूरणीय क्षति होगी तथा मुकदमेबाजी में बेवजह फंसना पड़ेगा। अतः अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 10 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वे विवादित आराजी को ताफैसला रहन, बेचान या अन्य तरीके से मुन्तकिल नहीं करे एवं रेवेन्यू रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे तथा प्रार्थिया को उसके हिस्से अनुसार पैदावार देते रहे।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर नोटिस बनाम अप्रार्थीगण जारी किये जाकर उनकी न्यायालय में तलवी की गई।

3. वकील अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 7 ने अपना जवाब पेश किया है कि प्रार्थीया ने अप्रार्थीगण की पैतृक सम्पति हडपने के लिए झूठे तथ्यों के आधार पर यह प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया है जो कानूनन चलन योग्य नहीं है।प्रार्थीया ने स्यवं को मथुरा पुत्र रामदयाल की पुत्री बताते हुए पैतृक अधिकार की याचना की है। जहाँ तक मथुरा के वारिसान का प्रश्न है उसके प्र[illegible] सजरे में अंकित नहीं किया।प्रार्थीया का अप्रार्थीगण व उनके परिवा[illegible] बिरादरी से कोई वास्ता नही रहा इस कारण वह पैतृक स[illegible]की हकदार नही है।कान्ता ने अर्सा करीब 50 [illegible] त्यागकर ननवां निवासी मुस्लिम युवक इलियास से निकाह कर ली थी। उसके पश्चात जाति बिरादरी परिवार से सभी सम्बन्ध तोड लिए यहां तक कि वह अपने पिता की मृत्यु के समय भी शोक व्यक्त करने यहां नहीं आई। पिता की मृत्यु का समाचार उसे विशेष तौर से भेजा था, किन्तु उसने यह कहते हुए कि "मेरा मेरे पिता, माता या भाई बहिनों से कोई सरोकार नही है" उसने

Signature Not Verified
Digitally signed by Damodar Singh
Date: 2025.05.08 11:07:35 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

आने से इन्कार कर दिया, इस दौरान परिवार में चाचा–मामा व दूसरे निकटतम रिश्तेदारों की मौत के दौरान भी उसने दूरी बनाये रखी।प्रार्थीया ने स्वयं अपनी मर्जी से हिन्दू धर्म त्याग कर मुस्लिम धर्म निभाकर सारे रिश्ते तोड लिए इसलिए अब पैतृक सम्पति में उसके सभी हिताधिकार स्वयं समाप्त हो गये है।प्रार्थीया के इलियास से जन्में पुत्र पुत्रियों के नाम भी मुस्लिम धर्म के अनुसार है इसके तीन पुत्रों में एक नसीब, दूसरा अकरम व लडकी जीनत नाम की है उक्त तथ्य प्रार्थियों के धार्मिक मान्यता के स्पष्ट प्रमाण है।कंजर जाति की रूढ़ी के अनुसार भी प्रार्थियों का पैतृक सम्पति में अधिकार नहीं होता इस रूढी में जो लडकी तवायफ बन जाती है उसका परिवार से सम्बन्ध समाप्त हो जाता है। इस आधार पर भी प्रार्थियों का वाद चलने योग्य नही है।प्रार्थियों के पिता का देहान्त 60 वर्ष पर्व हो गया था इस दौरान प्रार्थियों कभी शादी–विवाह तक में नही आई, धर्म परिवर्तन के कारण उसे अन्य रिश्तेदारों व समाज द्वारा भी त्याज्य माना जाकर बुलाया नही जाता।अप्रार्थीगण के मेहनत व भारी लागत से बंजर पडी विवादित कृषि भूमियों को सरसब्ज बनाया है जिससे अब नियत में लालच आने से प्रार्थियाँ झूठे तथ्य बनाकर उक्त वाद दायर किया है।प्रार्थीया को विवादित भूमि के अप्रार्थीगण के नाम खातेदारी आने के तथ्यों की जानकारी 40 साल से है तब से अब तक उसके मौन रहने से इस सारे घटनाक्रम में उसकी स्वीकृति रही, लम्बे अरसे के बाद झूठा घटनाक्रम बनाकर पेश किया। उक्त वाद मियाद बाहर होने से भी चलने योग्य नहीं है।प्रार्थीया ने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया है अतः उसका पैतृक सम्पति से व परिवार से अधिकार समाप्त हो गये, अतः प्रथम दृष्टया वाद व सुविधा संतुलन अप्रार्थीगण के पक्ष में है, यदि गलत तथ्यों के आधार पर अप्रार्थीगण को पाबंद किया तो उन्हे अपूर्तनीय क्षति होगी। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जाये।

4. अप्रार्थी संख्या 9 ने स्वयं का वर्तमान में बालिग होना बताते हुए पूर्व में अप्रार्थी संख्या 1–7 द्वारा प्रस्तुत जवाब को ही उसकी ओर से भी जवाब माने जाने की प्रार्थना की है।

5. अप्रार्थी संख्या 8 ने अपना जवाब पेश किया है कि प्रार्थीया ने अप्रार्थी स. 1 लगायत 9 एक ही खानदान के व्यक्ति बताये है। जबकि अप्रार्थी संख्या 8 जाति से बैरवा है। प्रार्थीया ने स्वयं स्पष्ट लिखा है कि अप्रार्थी संख्या 1 ने खसरा नम्बर 521 रकबा 0.26 है को अप्रार्थी संख्या 8 (आठ) को बेचान कर दिया इसलिए पक्षकार बनाया गया है। इससे प्रार्थीया को पता था कि खसरा नम्बर 521 रकबा 0.26 है का बेचान नामान्तकरण संख्या 942 दिनांक 07.10.2014 को संतरी पुत्र मथुरा के बजाय अम्बालाल पुत्र धन्ना लाल जाति वैरवा निवासी रजवाना को बेचान कर दिया है। ग्राम चौथ का बरवाडा पटवार हल्का चौथ का बरवाडा ए भूमि अभि. नि.क्षेत्र तहसील चौथ का बरवाडा के खाता संख्या 21 मे खसरा नम्बर 521 रकबा 0.24 है० गै मु. आबादी में दर्ज है। तथा खसरा नम्बर 5587/1521 रकबा 0.02 है० अम्बालाल पुत्र धन्ना लाल के नाम दर्ज है। अप्रार्थी गण को नोट न. 1 से दिनांक 29.07.2020 खसरा नम्बर 521 व 5587/1521 सभी काश्तकार पर मु.न. 48/18 जारी स्थगन आदेश 01.06.2018 से पाबंद किया गया है, जो बिल्कुल गलत है एवं विधि विरुद्ध है। खसरा नम्बर 521 रकबा 0.26 है० का बेचान 07.10.2014 में हो गया जबकि प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र 07.02.2018 को 4 वर्ष 8 माह बाद पेश किया है। क्योकि नामान्तकरण संख्या 966 दिनांक 01.12.2014 [illegible] के द्वारा खसरा नम्बर 521 रकबा 0.26 है0 में से 0.24 है0 मे.मु आबादी [illegible] यूनिट) हो गई और तब से अप्रार्थी संख्या 8 से जवाब [illegible] विक्रय पत्र करवा लिये है। और निर्माण कार्य शुरु करवाकर [illegible] रेस्टोरेन्ट आई. टी आई स्कूल कॉलेज आवासीय मकान बना लिये है। अप्रार्थीगण को ऐसा कोई पता नही था। और उक्त सभी निर्माण जो सन् 2014 [illegible] ही हो गये थे। जिसका प्रार्थीया को पूर्ण रुप से पता था उसके बावजूद प्रार्थीया ने हमारे आबादी वाले खसरा नम्बर 521 को वाद में शामिल किया है। जबकि प्रार्थीया को 2014 में आबादी भूमि पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Damodar Singh
Date: 2025.05.08 11:07:35 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

पुख्ता निर्माणो का पता होते हुए माननीय न्यायालय में गलत वाद प्रेषित किया। खसरा नम्बर 521 गै. मुआबादी भूमि का वाद सिविल न्यायालय में किया जाना चाहिए था। परन्तु जान बूझ कर माननीय न्यायालय को भ्रमित किया है। इसलिए खसरा नम्बर 521 को प्रार्थीया द्वारा वाद से हटाया जाये या उक्त प्रार्थना पत्र पर किये गये स्थगन आदेश को निरस्त किया जाना न्याय संगत व विधि सम्वत् है। अम्बालाल के नाम वर्तमान में 5587/1521 रकबा 0.02है0 ही दर्ज है।अतःनिवेदन है कि माननीय न्यायालय के 01. 06.2018 के स्थगन आदेश को निरस्त फरमाया जाकर खसरा नम्बर 521 के लिए वदिया को सिविल न्यायालय जाने हेतु आदेशित किया जावे। अन्य बर वक्त बहस जुबानी निवेदन किये जायेगे।

6. अप्रार्थी संख्या 10 बावजूद तामील उपस्थित नहीं होने के कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

7. अप्रार्थी संख्या 12 लगायत 15 ने अपना जवाब पेश किया है कि प्रार्थीया ने स्पष्ट लिखा है कि अप्रार्थी संख्या 1 ने खसरा नम्बर 521 रकबा 0.26 है को अप्रार्थी संख्या 8 को बेचान कर दिया इसलिए पक्षकार बनाया गया है। इससे प्रार्थीया को पता था कि खसरा नम्बर 521 रकबा 0.26 है का वेचान नामान्तकरण संख्या 942 दिनांक 07. 10.2014 को संतरी पुत्र मथुरा के वजाय अम्बालाल पुत्र धन्ना लाल जाति बैरवा निवासी रजवाना को बेचान कर दिया है। ग्राम चौथ का बरवाडा पटवार हल्का चौथ का बरवाडा ए भूमि अभि. नि.क्षेत्र तहसील चौथ का बरवाडा के खाता संख्या 21 मे खसरा नम्बर 521 रकबा 0.24 है० गै.मु. आबादी में दर्ज है। तथा खसरा नम्बर 5587/1521 रकबा 0.02 है० अम्बालाल पुत्र धन्ना लाल के नाम दर्ज है। अप्रार्थी गण को नोट न. 1 से दिनांक 29.07.2020 खसरा। नम्बर 521 व 5587/1521 सभी काश्तकार पर मु.न. 48/18 जारी स्थगन आदेश 01.06.2018 से पाबंद किया गया है। जो बिल्कुल गलत है। विधि विरुद्ध है खसरा नम्बर 521 रकबा 0.26 है० का बेचान 07.10.2014 में हो गया जबकि प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र 07.02.2018 को 4 वर्ष 8 माह बाद पेश किया है। क्योकि नामान्तकरण संख्या 966 दिनांक 01.12.2014 को भूमि रुपान्तरकरण के द्वारा खसरा नम्बर 521 रकबा 0.26 है0 में से 0.24 है0 गै.मु. आबादी (आवासीय यूनिट) हो गई और तब से अप्रार्थी संख्या 8 से जवाब पेश कर्तागण ने भूखण्डो के विक्रय पत्र करवा लिये हैं। और निर्माण कार्य शुरु करवा कर क्रेतागण ने पुख्ता होटल छाबडी रेस्टोरेन्ट आई. टी आई स्कूल कॉलेज आवासीय मकान बना लिये है। अप्रार्थीगण को ऐसा कोई पता नहीं था। और उक्त सभी निर्माण जो सन् 2014 में ही हो गये थे। जिसका प्रार्थीया को पूर्ण रुप से पता था उसके बावजूद प्रार्थीया ने हमारे आबादी वाले खसरा नम्बर 521 को वाद में शामिल किया है। जबकि प्रार्थीया को 2014 में आबादी भूमि पर पुख्ता निर्माणो का पता होते हुए माननीय न्यायालय में गलत वाद प्रेषित किया। खसरा नम्बर 521 गै. मु.आबादी भूमि का वाद सिविल न्यायालय में किया जाना चाहिए था। परन्तु जान बूझ कर माननीय न्यायालय को भ्रमित किया है। इसलिए खसरा नम्बर 521 को प्रार्थीया द्वारा वाद से हटाया जाये या उक्त प्रार्थना पत्र पर किये गये स्थगन आदेश को निरस्त किया जाना न्याय संगत व विधि सम्मत है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि माननीय न्यायालय के 01. 06.2018 के स्थगन आदेश को निरस्त फरमाया जाकर खसरा नम्बर 521 के लिए वदिया को सिविल न्यायालय जाने हेतु आदेशित किया जावे। अन्य बर वक्त बहस जुबानी निवेदन किये जायेगें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damodar Singh
Date: 2025.05.08 11:07:35 IST
Reason: SelfAttested

8. उभयपक्षों की बहस सुनी गई। उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्तागणों द्वारा दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों एवं जवाब में अंकित तथ्यों का दोहरान किया।

9. मैने उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अस्थायी निषेधाज्ञा हेतु तीन

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

बिन्दुओं प्रथम दृष्टया केस, अपूरणीय क्षति एवं सुविधा का संतुलन के संबंध में ध्यानपूर्वक विचार किया।

8.1. <u>प्रथम दृष्टया केसः</u>– प्रार्थिया द्वारा विवादित आराजीयात पैतृक होने के कारण स्वयं के हिस्से की घोषणा एवं घोषणा उपरान्त विवादित आराजीयात का विभाजन करने हेतु वाद दायर किया है। प्रार्थिया का कथन है कि उनके पिता स्व0 मथुरा की मृत्यु उपरान्त स्व0 मथुरा के हिस्से की विवादित कृषि भूमि का विरासत के आधार पर नामान्तरकरण (नामान्तरकरण संख्या 1848) संतरी व स्व0 मूलचंद (मथुरा के पुत्र) के नाम पर ही दर्ज कर दिया गया, जिसमें पुत्रियों के नाम नामान्तरकरण नहीं खोला गया, जबकि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुसार पुत्रियों का भी अपने पिता की सम्पत्ति में पुत्रों के बराबर हिस्सा होता है। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 व 9 के जवाब से स्पष्ट होता है कि प्रार्थिया कान्ता के मथुरा की पुत्री होने का तथ्य अविवादित है, यद्यपि प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 व 9 द्वारा प्रार्थिया के अतिरिक्त मथुरा की दो अन्य पुत्रियां प्रेम व अंगूरी बताई है। स्वयं प्रार्थिया द्वारा भी दावे में इन दो बहनों के उल्लेख किया है, परन्तु उनकी मृत्यु होना बताया है, साथ ही प्रार्थिया द्वारा एक ओर बहन सीता का भी उल्लेख किया है, जिसे सीता द्वारा पैतृक सम्पत्ति में हिस्से संबंधी दावा करने से इंकार करने के कारण बतौर प्रतिवादी पक्षकार बनाया गया है। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 व 9 द्वारा दावे के विरोध मुख्यतः इस आधार पर किया गया है कि प्रार्थिया द्वारा करीब 50 वर्ष पूर्व ही हिन्दू धर्म त्यागकर नैनवा निवासी मुस्लिम युवक इलियास से निकाह कर लिया था। इस प्रकार प्रार्थिया द्वारा अपनी मर्जी से हिन्दू धर्म त्यागकर मुस्लिम धर्म अपनाने के कारण प्रार्थिया को हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार पैतृक संपत्ति में हक के संबंध में दावा करने का अधिकार नहीं है। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 द्वारा प्रार्थिया के मुस्लिम होने के संबंध में उसके पुत्रों के नाम नसीब, अकरम व पुत्री का नाम जीनत होना बताया है एवं इस संबंध में नसीब की 18.07.2021 को मृत्यु होने के उपरान्त मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि भी पेश की है। वहीं दूसरी ओर प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत परिवार राशन कार्ड की प्रतिलिपि में प्रार्थिया के पुत्रों के नाम प्रेमसिंह व आकाश उल्लेखित हैं। प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन सामाजिक सुरक्षा पेंशन आवेदन पत्र की प्रति में उसके पति का नाम इलियास कंजर उल्लेखित है। प्रार्थिया द्वारा हिन्दू धर्म त्यागने, मुस्लिम धर्म अपनाने अथवा न अपनाने की तथ्य का विनिश्चिय प्रकरण के विचारण उपरान्त ही किया जा सकेगा। मेरी विनम्र राय में प्रार्थिया द्वारा इस न्यायालय के समक्ष पैतृक संपत्ति में स्वयं के अधिकारों की घोषणा बाबत् विचारण हेतु एक सद्भावी एवं सारभूत प्रश्न प्रस्तुत किया है, जिसका गुणावगुण पर विनिश्चय किया जायेगा। इस प्रकार प्रथमदृष्टया केस प्रार्थिया के पक्ष में पाया गया है।

8.2. <u>अपूरणीय क्षति एवं सुविधा का संतुलनः</u>– प्रार्थिया द्वारा विवादित जमीन प्रतिवादीगण द्वारा बेचे जाने का खतरा बताया है। यदि अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 7 व 9 के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जाती है तो उनके द्वारा शेष विवादित आराजी का विक्रय/अन्तरण करने का खतरा है, जिससे वाद बाहुल्यता बढ़ेगी एवं प्रार्थिया को अपूरणीय क्षति होगी। अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने की स्थिति में भूमि की [illegible] बनी रहेगी एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 7 को विशेष असुविधा [illegible] होगी। अतः सुविधा का संतुलन और अपूरणीय क्षति का बिन्दु प्रार्थिया के पक्ष में पाया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damodar Singh
Date: 2025.05.08 11:07:35 IST
Reason: SelfAttested

उपरोक्त अनुसार प्रथमदृष्टया केस, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु प्रार्थिया के पक्ष में पाये जाने के कारण अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित है। प्रतिवादी संख्या 8 एवं 12 लगायत 15 ने खसरा संख्या 521 रकबा 0.26 है0 के अंबालाल द्वारा खरीदे जाने एवं बाद में इसमें से 0.24 है0 भूमि

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

रूपान्तरित करवाकर बेचे जाने के कारण खसरा संख्या 521 को अस्थायी निषेधाज्ञा से मुक्त रखे जाने की प्रार्थना की है। प्रार्थिया द्वारा विवादित आराजी पैतृक होने के कारण घोषणा हेतु दावा किया गया है, जिसमें बेची गई भूमि के एवज में प्रतिवादी संख्या 1 को दौराने विभाजन 0.37 है0 भूमि कम दिये जाने का अनुतोष चाहा है, अतः खसरा नंबर 521 एवं खसरा 5587/521 पर अस्थायी निषेधाज्ञा जारी रखा जाना उचित नहीं है। वादग्रस्त शेष खसरा नंबरों के संदर्भ में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित है।

—:आदेश:—

प्रार्थीया का अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम आंशिक स्वीकार किया जाता है, एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 7 व 9 को दावे के निस्तारण तक अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे ग्राम चौथ का बरवाड़ा, तहसील चौथ का बरवाड़ा जिला सवाई माधोपुर स्थित खसरा नंबर 551, 605, 606, 487, 489, 492, 493, 494, 507, 538, 540/5105, 541, 616, 617, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 486, 495, 497, 498, 502, 503, 504 में स्वयं के हिस्से का रहन, बेचान एवं किसी भी प्रकार से अन्तरण नहीं करें एवं राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। निर्णय आज दिनांक 02.05.2025 को खुले न्यायालय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(दामोदर सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (सवाई माधोपुर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Damodar Singh
Date: 2025.05.08 11:07:35 IST
Reason: SelfAttested